अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामन सिटी (नागौर)

मुकदमा नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
19.11.2024	पत्रावली प्रस्तुत। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। वकील अपीलान्ट को आदेशिका 20.09.2024 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं अन्य दस्तावेज पेश करने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन वकील अपीलान्ट प्रकरण के संबंध में कोई भी तथ्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहें। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट लिखमाराम ने इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां के आदेश क्रमांक / राजस्व / 188 दिनांक 29.07.2016 व श्रीमान तहसीलदार कुचामन के आदेश क्रमांक / भू.अ. / 16 / 1712 दिनांक 01.08.2016 की पालना में मु0न0 60 / 1999 के द्वारा लिखमाराम बनाम भंवरलाल वगैरह में मेरे पक्ष में नामान्तरकरण को दर्ज कर दिया। लेकिन राजस्व कार्मिकों यथा पटवारी भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार कुचामन द्वारा पुनश्चः कर नोट लगाकर मेरा नामान्तरकरण खारिज कर दिया। इसलिए उक्त खारिज नामान्तरकरण को पुनः मेरे पक्ष में दर्ज किया जावें। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रकरण के समर्थन में लिखित बहस इत्यादि का गहनता से अध्ययन एवं मनन उपरान्त उक्त अपील का निष्कर्ष यह है कि उक्त नामान्तरकरण अपील इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं हैं, क्योकि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के डबल बैंच ने दिनांक 06.05.2016 को लिखमाराम बनाम भंवरलाल में निर्णय पारित किया कि " माननीय निचली अदालत में प्रकरण को पुनः दर्ज कर सुनवाई करते हुए गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करें।" जिसकी अनुपालना में पटवारी भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा पुनश्चः कर नामान्तरकरण विधिसम्मत हटवाया गया। इसलिए अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित पक्षकारान संबधित न्यायालय में चाराजोही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर [illegible] आदेश आज दिनांक 19.11.2024 को [illegible] सुनाया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.09.09 15:48:11 IST
Reason: SelfAttested